संख्याः 2097 /VII-1/2018/21-ख/17

प्रेषक,

गरिमा रौंकली,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1 देहरादून, दिनांकः 5 सितम्बर, 2018

विषयः श्रीमती सुरिन्दर कौर पुत्री श्री सतनाम चन्द, निवासी ग्राम विजयपुर, तहसील कालाढूंगी, जिला नैनीताल को जनपद ऊधमसिंहनगर, तहसील किच्छा के ग्राम बखपुर के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकवा 1.546 है० नाप भूमि में उपखनिज रेता, बजरी के चुगान हेतु पर्यावरणीय अनुमति (Environment Clearance) प्राप्त होने के उपरान्त खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-736/VII-1/57-ख/2013, दिनांक 03 अप्रैल, 2013 द्वारा निजी नाप भूमि में स्वीकृत होने वाली उपखनिज के खनन पट्टों में आशय पत्र जारी किये जाने का प्राधिकार जिलाधिकारी में निहित था। तत्क्रम में जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर के कार्यालय ज्ञाप सं० आर-149/30 ए०आर०ए०/2015, दिनांक 8 जनवरी, 2015 द्वारा श्रीमती सुरिन्दर कौर पुत्री श्री सतनाम चन्द, निवासी ग्राम विजयपुर, तहसील कालाढूंगी, जिला नैनीताल को जनपद ऊधमसिंहनगर, तहसील किच्छा के ग्राम बखपुर के क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं० 11 रकवा 1.546 है० नाप भूमि में उपखनिज आर०बी०एम० के चुगान का खनन पट्टा स्वीकृति हेतु ई०आई०ए० नोटिफिकेशन, 2006 के अन्तर्गत पर्यावरणीय अनुमति (Environment Clearance) प्राप्त किये जाने हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) निर्गत किया गया था।

2. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर के पत्र संख्या-र-313/30-ए०आर०ए०/2015, दिनांक 19 मार्च, 2015 द्वारा श्रीमती सुरिन्दर कौर पुत्री श्री सतनाम चन्द, निवासी ग्राम विजयपुर, तहसील कालाढूंगी, जिला नैनीताल को आशय पत्र पर स्वीकृत क्षेत्र की पर्यावरणीय अनुमति पत्र संख्या-658-1(661)/2015, दिनांक 15 फरवरी, 2015, आशय पत्र, गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या, ट्रेजरी चालान आदि की प्रति निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून को प्रेषित की गयी, जिसके क्रम में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या-76/खनन/उध०/भू०खनि०ई०/2017-18, दिनांक 03 मई, 2018 द्वारा श्रीमती सुरिन्दर कौर पुत्री श्री सतनाम चन्द, निवासी ग्राम विजयपुर, तहसील कालाढूंगी, जिला नैनीताल को उपखनिज के चुगान हेतु खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रस्ताव के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रीमती सुरिन्दर कौर पुत्री श्री सतनाम चन्द, निवासी ग्राम विजयपुर, तहसील कालाढूंगी, जिला नैनीताल को जनपद ऊधमसिंहनगर, तहसील किच्छा के ग्राम बखपुर के क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं० 11 कुल रकवा 1.546 है० नाप भूमि में उपखनिज बालू, बजरी एवं बोल्डर के चुगान हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण उत्तराखण्ड के पत्र सं० 658-1(661)/2015, दिनांक 15 फरवरी, 2015 द्वारा निर्गत पर्यावरणीय

अनुमति तथा उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 के प्रावधानानुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन 01 (एक) वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण उत्तराखण्ड से प्राप्त पर्यावरणीय अनुमति (Environment Clearance) पत्र संख्या–658–1(661)/2015, दिनांक 15 फरवरी, 2015 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन पट्टाधारक से सुनिश्चित कराये जाने हेतु स्थानीय जिला प्रशासन तथा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा आवश्यक कार्यवाही करायी जायेगी।
2. स्वीकृत क्षेत्र का सीमाबन्धन/पिलरबन्दी नियम–17 के अनुसार भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के द्वारा राजस्व विभाग एवं वन विभाग के साथ संयुक्त रूप से पर्यावरणीय अनुमति सं० 658–1(661)/2015, दिनांक 15 फरवरी, 2015 की शर्तों के अनुसार किया जायेगा।
3. खान अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि सीमाबन्धित खनन क्षेत्र में स्थायी सीमा स्तम्भ लगाये जाने की पुष्टि के उपरान्त ही ई–रवन्ना प्रपत्र एम०एम०–11 पट्टाधारक को निर्गत किया जाय।
4. नियम–14 के प्रावधानानुसार पट्टाधारक के द्वारा पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात उक्त विलेख का पंजीकरण कराने के उपरान्त खनन क्षेत्र से उपखनिज का चुगान प्रारम्भ किया जायेगा।
5. पट्टाधारक के द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 के बिन्दु सं०–22(6) के अनुसार चुगान कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वाणिज्यकर विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई में पंजीकरण कराया जाना होगा।
6. पट्टाधारक के द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 के बिन्दु सं०–22(3) के अनुसार चुगान पट्टा क्षेत्र के निकासी गेटों पर कम्प्यूटराईज्ड धर्मकांटा एवं सी०सी०टी०वी० कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित किया जायेगा तथा रिकार्डिंग की सी०डी० प्रत्येक माह भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जिला कार्यालय एवं जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।
7. पट्टाधारक द्वारा पट्टा विलेख से पूर्व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई से उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 के प्रावधानानुसार खनन योजना का अनुमोदन कराया जाना होगा।
8. पट्टाधारक स्वीकृत क्षेत्र से उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर का चुगान सतह से 1.5 मी० की गहराई अथवा ग्राउन्डवाटर लेवल जो भी न्यून हो, तक चुगान किया जायेगा।
9. पट्टाधारक उपखनिज की निकासी का त्रैमासिक विवरण निर्धारित प्रपत्र एम०एम०–12 में जिलाधिकारी कार्यालय एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रस्तुत करेगा।
10. उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 तथा उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 एवं समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. पट्टाधारक स्वीकृत खनन क्षेत्र से उपखनिज की निकासी/परिवहन निर्धारित ई–रवन्ना प्रपत्र एम०एम० 11 पर करेगा।
12. प्रश्नगत क्षेत्र में उपखनिजों के चुगान हेतु किसी भी विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जायेगा व चुगान कार्य केवल मानव शक्ति से ही किया जायेगा।

–3

13. प्रश्नगत क्षेत्र में उपखनिजों के चुगान का कार्य सूर्योदय से पूर्व तथा सूर्यास्त के पश्चात नहीं किया जायेगा।
14. पट्टाधारक उपखनिज की निकासी इस रीति से करेगा जिससे कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(गरिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव

संख्याः 2097(1)/VII-1/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उक्तांकित पत्र दिनांक 3 मई, 2017 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. श्रीमती सुरिन्दर कौर पुत्री श्री सतनाम चन्द, निवासी ग्राम विजयपुर, तहसील कालाढूंगी, जिला नैनीताल।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव